



2026:AHC-LKO:19115

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ**

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या- 1898 वर्ष 2026

कौशल किशोर @ अपराधी बाबा

....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव, गृह एवं गोपनीय विभाग, लखनऊ

.....विपक्षी (गण)

आवेदक(गण) के लिए अधिवक्ता : सुधांशु शेखर त्रिपाठी, राघव बंसल, ऋत्विका त्रिपाठी
विपक्षी(गण) के लिए अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 13

माननीय न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री सुधांशु शेखर त्रिपाठी और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री एस.पी. तिवारी को सुना गया; जिन्होंने कहा है कि उन्हें इस मामले में पूर्ण निर्देश प्राप्त हैं और वे मामले की गुण-दोष के आधार पर बहस करने के लिए तैयार हैं।
2. यह वर्तमान प्रार्थना-पत्र आवेदक की ओर से प्राथमिकी/मुकदमा अपराध संख्या 0188/2020 अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 302, 201, 34, 120-बी भारतीय दंड संहिता और आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम की धारा 7 के तहत, पुलिस थाना-गंगाघाट, जिला-उन्नाव ज़मानत की मांग करते हुए दायर की गई है।
3. इस प्रार्थना-पत्र पर जोर देते हुए, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि प्राथमिकी में अभियोजन पक्ष का जो मामला दर्शाया गया है, वह पूरी तरह से झूठा, मनगढ़ंत और बनावटी है।
5. आगे यह भी निवेदन किया गया है कि सह-आरोपी संतोष बाजपेयी, अब्दुल बारी, विकास दीक्षित, स्वरूप चंद्र शर्मा @ रानू, शर्मा कपिल कटारिया @ कपिल देव शास्त्री - जिनकी भूमिका षड्यंत्र रचने की थी उन्हें आपराधिक विविध ज़मानत प्रार्थना-पत्र संख्या

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



7198/2020, 7195/2021, 8687/2020, 298/2022, 2251/2021 में पारित आदेशों दिनांक 08.10.2021, 16.12.2021, 05.07.2022, 14.07.2022, 18.07.2022 के माध्यम से पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है। आवेदक को भी वैसी ही भूमिका सौंपी गई है। संदर्भित आदेशों में से एक, अर्थात् आपराधिक प्रकीर्ण आवेदन संख्या 7198 वर्ष 2020 में दिनांक 08.10.2021 को पारित आदेश का प्रासंगिक अंश नीचे उद्धृत किया गया है :-

"आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री नदीम मुर्तजा, शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री बृज मोहन सहाय और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री अनिरुद्ध कुमार सिंह की दलीलें सुनी गई। वर्तमान जमानत याचिका आवेदक द्वारा प्राथमिकी संख्या 188/2020 के संबंध में, भा0दं0सं0 की धारा 147, 148, 149, 302, 34, 120-बी और आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम की धारा 7 के तहत, पुलिस थाना गंगाघाट, जिला उन्नाव में इस प्रार्थना के साथ दायर की गई है कि उसे जमानत पर रिहा किया जाए।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि प्राथमिकी में आवेदक का नाम शामिल नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि आवेदक को इस मामले में झूठा फंसाया गया है, क्योंकि उसका किसी भी आपराधिक गतिविधि से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि इस मामले में, अभियोजन पक्ष के कथनानुसार, घटना दोपहर 15:30 बजे हुई थी, लेकिन प्राथमिकीरात 23:10 बजे दर्ज की गई। घटना स्थल से पुलिस थाने की दूरी 5 किलोमीटर है, और प्राथमिकीदर्ज करने में हुई इस देरी का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, सूचना देने वाले के भाई शुभम मणि त्रिपाठी, जो 'कम्प्यू मेल' नामक दैनिक समाचार पत्र के पत्रकार और संवाददाता थे, का कार्यालय झंडावाला चौराहा, पोनी रोड, शुक्लागंज, पुलिस थाना कोतवाली गंगाघाट, जिला उन्नाव में स्थित था। प्राथमिकी में यह आरोप लगाया गया है कि घटना की तारीख से कुछ दिन पहले, भू-माफिया-दिव्या अवस्थी, कन्हैया अवस्थी, राघवेंद्र अवस्थी उर्फ यशू पुत्र स्वर्गीय नरेंद्र अवस्थी और उनके साथियों, मोनू लुटेरा, शाहनवाज बिहारी, कौशल किशोर उर्फ अपराधी बाबा, स्वरूप चंद्र शर्मा उर्फ रानू शर्मा, कपिल कटारिया, अतुल दुबे और विकास दीक्षित ने मिलकर सूचना देने वाले के भाई के कार्यालय को तोड़ दिया था। साथ ही, जान से मारने के इरादे से उन्होंने कई राउंड गोलियां भी चलाई थीं। प्राथमिकी में आगे यह भी आरोप लगाया गया है कि प्राथमिकी में उपरोक्त घटना के संबंध में, शिकायतकर्ता के भाई शुभम मणि त्रिपाठी ने भी एक प्राथमिकी दर्ज करवाई थी; इसी वजह से, शिकायतकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों को ऊपर बताए गए सभी आरोपियों द्वारा परेशान किया जा रहा था। उन्हें यह धमकी भी दी जा रही थी कि वे ऊपर बताए गए मामले में समझौता कर लें, वरना पूरे परिवार को खत्म कर दिया जाएगा।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



प्राथमिकी में यह आरोप लगाया गया है कि 19 जून, 2020 को लगभग 3:30 बजे, शिकायतकर्ता का भाई अपने किसी निजी काम से उन्नाव के जिला न्यायालय गया था, वहाँ उपरोक्त आरोपियों ने दो गाड़ियों से उसका पीछा किया; इस पर, खुद को बचाने के इरादे से वह, अहमद नगर, शुक्ला गंज के रहने वाले मुख्तार के साथ, एक मोटरसाइकिल पर बैठकर शुक्ला गंज की ओर भागा। जब शिकायतकर्ता का भाई सहजनी चौराहे से 100 मीटर आगे पहुँचा, ठीक उसी समय उपरोक्त आरोपी अपनी गाड़ी से वहाँ आ पहुँचे और उन्होंने शुभम मणि त्रिपाठी पर अंधाधुंध गोलियाँ चलानी शुरू कर दीं। इसके परिणामस्वरूप, शुभम मणि त्रिपाठी खून से लथपथ होकर वहीं मौके पर ही मर गया। हालाँकि उसे कानपुर के हैलेट अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

आवेदक के अधिवक्ता ने बताया कि मुख्तार, जो घटना का चश्मदीद गवाह था, का बयान 21.06.2020 को दं०प्र०सं० की धारा 161 के तहत दर्ज किया गया था। इस बयान में उसने कहा कि वह शुभम मणि (मृतक) के साथ अपनी मोटरसाइकिल पर शुक्ला गंज जा रहा था और वे आपस में पारिवारिक मामलों पर बात कर रहे थे। जब वे सहजनी चौराहे से 100 कदम आगे पहुँचे, तो दो लोग एक मोटरसाइकिल पर आए और उन्होंने पीछे से शुभम मणि पर गोली चला दी। उसने आगे बताया कि शुभम मणि को गोली लगने से मोटरसाइकिल फिसल गई और गिर पड़ी। इस पर मुख्तार तो भाग निकला, लेकिन शुभम मणि नहीं भाग पाया। मुख्तार ने यह भी बताया कि उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ एक और मोटरसाइकिल भी पहुँच गई थी, जिस पर दो लोग बैठे थे। उन्होंने चिल्लाकर कहा, "इसे मार डालो, क्योंकि यह बच गया है।" मुख्तार भागकर एक घर में घुस गया और कुछ देर बाद, उस घर की एक महिला ने उसे बताया कि हमलावर भाग गए हैं। यह सुनकर उसने अपने बेटे इमरान को फोन किया और उससे कहा कि वह शुभम मणि के भाई को बता दे कि शुभम को गोली लगी है। उसने इस घटना के बारे में वीरेंद्र प्रधान नाम के एक व्यक्ति को भी जानकारी दी।

आवेदक के अधिवक्ता ने दलील दी कि अपने बयान में मुख्तार ने आवेदक का नाम नहीं लिया था, जिससे यह साफ ज़ाहिर होता है कि इस घटना से आवेदक का कोई लेना-देना नहीं है। प्राथमिकी मनगढ़ंत तथ्यों के आधार पर दर्ज की गई थी और जाँच के दौरान आवेदक के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला है। उन्होंने यह भी बताया कि गवाहों, यानी राजकुमार गुप्ता और मोहित शुक्ला के बयान जाँच अधिकारी द्वारा 26.06.2020 को दर्ज किए गए थे, जिनमें आवेदक का नाम कहीं भी नहीं आया है। इसके बाद, 30.06.2020 को मोहित शुक्ला का एक और मज़ीद बयान दर्ज किया गया, इस बयान में उसने कहा कि वह जाँच अधिकारी को यह बताना भूल गया था कि घटना से चार दिन पहले



शुभम मणि ने उसे बताया था कि जब वह वापस आ रहा था, तो संतोष बाजपेयी (आवेदक) ने उसे रोककर चेतावनी दी थी कि वह दिव्या अवस्थी के काम में दखल न दे, वरना उसे जान से मार दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि आवेदक हर पल आरोपी दिव्या अवस्थी के साथ था।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि उपरोक्त तथ्य के अलावा, आवेदक के खिलाफ कोई और सबूत नहीं है। अंत में यह कहा गया कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 30.06.2020 से जेल में है। मुकदमा भी अभी नहीं चल रहा है। ऐसी परिस्थितियों में, आवेदक जमानत का हकदार है।

विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता और शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदक को जमानत देने की प्रार्थना का जोरदार विरोध किया। हालाँकि, वे इस तथ्य से इनकार नहीं करते कि मोहित शुक्ला के मज़ीद बयान के अलावा, आवेदक के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता, और शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की विरोधी दलीलों पर विचार करते हुए, और प्राथमिकी की सामग्री तथा गवाहों के बयानों को देखने के बाद, मेरा यह मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

आवेदक - संतोष बाजपेयी को प्राथमिकी संख्या 188 वर्ष 2020, धारा 147, 148, 149, 302, 34, 120-बी भा0दं0सं0 और आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम की धारा 7 के तहत, पुलिस थाना गंगाघाट, जिला उन्नाव में, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, एक निजी मुचलका और उतनी ही राशि के दो विश्वसनीय जमानतदार पेश करने पर जमानत पर रिहा किया जाए....."

6. इन परिस्थितियों में, आवेदक, जिसका 04 मामलों का आपराधिक इतिहास है जिसका विवरण जमानत प्रार्थना-पत्र के समर्थन में दायर हलफनामे के पैराग्राफ 36 में दिया गया है, और जो 02.08.2025 से जेल में बंद है, वह 'समानता के आधार' पर जमानत पर रिहा होने का हकदार है। यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा, मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेगा, और अभियोजन पक्ष के गवाहों को भी प्रभावित नहीं करेगा।

7. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक की प्रार्थना का विरोध किया है। हालाँकि, वे आवेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त तर्क का खंडन नहीं कर सके।

8. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करते हुए, तथा और आवेदन की सामग्री को देखते हुए, प्राथमिकी, और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों की सामग्री का अवलोकन करते हुए, साथ ही आवेदक के आपराधिक इतिहास और 'समानता के आधार' को ध्यान में रखते हुए और मामले के गुण-दोष में जाए बिना यह न्यायालय इस मत का है कि प्रार्थना-पत्र में सार है और तदनुसार, इसे स्वीकार किया जाता है।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



9. आवेदक - कौशल किशोर उर्फ अपराधी बाबा को, उपरोक्त मुकदमा अपराध संख्या में, 25,000/- रुपये का व्यक्तिगत मुचलका और दो विश्वसनीय जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए, जिनमें से एक जमानतदार परिवार का सदस्य/निकट संबंधी होना चाहिए और यह जमानत राशि भी उतनी ही होनी चाहिए, जो संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अधीन हो; साथ ही यह रिहाई निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:-

- (i) आवेदक मुकदमे की कार्यवाही के दौरान अभियोजन पक्ष के साथ सहयोग करेगा।
- (ii) आवेदक मुकदमे की कार्यवाही के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- (iii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा-धमकाएगा नहीं।
- (iv) आवेदक कोई अपराध नहीं करेगा।
- (v) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, ताकि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने प्रकट करने से रोका जा सके, या वह साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ न करे।
- (vi) आवेदक निर्धारित प्रत्येक तारीख पर, या तो स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से, विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।
- (vii) आवेदक साक्ष्य के लिए निर्धारित तारीखों पर, जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, किसी भी स्थगन की मांग नहीं करेगा।
- (viii) आवेदक, धारा 313 दं० प्र० सं० 0 के तहत बयान दर्ज कराने के लिए निर्धारित तारीखों पर, स्वयं विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

10. उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन होने की स्थिति में, विचारण न्यायालय को यह अधिकार होगा कि वह इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माने और कानून के अनुसार आदेश पारित करे।

11. चूंकि यह आदेश आवेदक को जमानत पर रिहा करने से संबंधित है, इसलिए यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियों का मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और विचारण न्यायालय इस आदेश में की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित नहीं होगा।

(न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया)

17 मार्च, 2026

एमएल/-

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"